कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैकुण्ठपुर जिला–कोरिया(छ0ग0)

New District Court Chinddand, Baikunthpur, Koriya

Phone No. 07836-299019   E-mail - dlsa.koria@gmail.com

/ / विविध आदेश / /

क्रमांकः–79 / जि.वि.से.प्रा. / 2025   बैकुण्ठपुर, दिनांक 28 / 06 / 2025

एतद् द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का ईमेल पत्र क्रमांक / F.N.L-27/2022-NALSA (part File) 4678-4714 dated 27 March.2024 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत तथा नालसा से प्राप्त पत्र क0– F.N.L-27/2022-NALSA/415 dated 16 April.2025 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम 2022 के प्रावधानों के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु स्टाफ (Human Resources/Main Power-**Office Assistant/Clerk**) की नियुक्त छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक / 1801 / LADCS-23-05/2024 Bilaspur dated 27-06-2025 के द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं बिन्दु क्रमांक 01 में उल्लेखित मापदण्डों के अनुरूप चयनित स्टाफ के द्वारा अनुबंध दिनांक 26.06.2025 से दिनांक 25.06.2026 (1 वर्ष) तक की अवधि के लिये, पूर्णतया संविदात्मक नियुक्ति की जाती है :–

क्र.	आवेदक का नाम	पिता एवं पति का नाम व पता
01	रीता बाई	स्व0 श्री प्रमोद, ग्राम+पो0–करमीटिकरा, तह0–पत्थलगांव, जिला–जशपुर छ0ग0
02	चंचल साहू	शिव राम साहू, ग्राम+पो0–सेदम, तह0–बतौली, जिला–सरगुजा छ0ग0

शर्ते :–

1. लीगल एड डिफेंस कौसिल कार्यालय हेतु कार्यालय भृत्य / मुंशी पद के स्टाफ की पूर्णतया संविदात्मक नियुक्ति है, जिनका कार्यकाल / कार्यवधि नालसा के दिशा–निर्देश के अनुसार ही निर्धारित किया जावेगा। वर्तमान में एक वर्ष की लिये अर्थात् द्वारा अनुबंध दिनांक 26.06.2025 से दिनांक 25.06.2026 तक की अवधि के लिये नियुक्त किया जाना है।

2. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक 7490 / एल.ए.डी.सी.एस.–23–05 / 2024 बिलासपुर दिनांक 11.11.2024 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यालय कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी) बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ0ग0) का वर्ष 2021 का अनुमानित नगरीय जनसंख्या 28431 होने के कारण क्लास – सी इस जिले के लिये लागू होगी। विवरण निम्नानुसार हैः–

नालसा द्वारा निर्धारित		
S.No.	Particulars	Honorarium
1	**Office Assistant/Clerk**	Rs. 15,000/-

03. यदि कोई स्टाफ पदभार ग्रहण नहीं करता है या पदभार ग्रहण करने के पश्चात् अपने पद से त्याग पत्रा दे देता है, तो उस स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना 2022 के आधीन एवं संविदात्मक अनुबंध की शर्तों के प्रावधान के आधीन वरीयता सूची के अनुसार, उक्त पदों हेतु पृथक–पृथक तैयार की गई प्रतीक्षा सूची में से वरीयता के आधार पर इस प्राधिकरण के द्वारा कार्यवाही कर अनुमोदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को प्रेषित किया जावेगा।

04. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त पदों हेतु, वरीयता के आधार पर तैयार की गई चयन सूची व प्रतीक्षा सूची का अनुमोदन उपरांत, उक्त प्रतीक्षा सूची को दिनांक 26.06.2025 से 25.06.2026 (1 वर्ष) तक प्रभावशील मानी जावेगी।

05. लीगल एड डिफेंस कौसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के द्वारा नालसा के पत्र क्रमांक एल/20/2019 – नालसा दिनांक 24 अगस्त, 2022 के साथ संलग्न दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, तथा उसी के अनुसार नियुक्त स्टाफ की सेवा समाप्त की जा सकेगी। साथ ही नालसा का पत्र क्रमांक एल/20/2019 नालसा दिनांक 11.02.2023 एवं पत्र क्रमांक/एफ.एन.एल./20/2019–नालसा दिनांक 14.02.2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम, संशोधित स्कीम 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यो को, नियुक्त किये गये स्टाफ कार्य संपादित करेंगे, यदि कार्य संतोषजनक नहीं होने पर, अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने हैं तथा आपराधिक/ राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी, ऐसे स्टाफ की सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

06. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 मे प्रावधानित अनुसार लीगल एड डिफेंस कौसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्यतः करेंगे।

07. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/एफ.नं. /एल–27/2022–नालसा (पार्ट–फाइल)/4678–4714 दिनांक 27 मार्च 2024 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत, **"You will not be entitled to a regular government post, Salary, or benefits, as the payment is based on honorarium or retainership, and not on a salary basis." ''आपको नियमित सरकारी पद या सरकारी वेतन, या सुविधाओं का अधिकार नहीं होगा क्यों मानदेय या रिटेनरशिप के आधार पर और वेतन के आधार पर नहीं।''** जिसके अनुसार लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के संविदात्मक अनुबंध की शर्तो का पालन सुनिश्चित करने हेतु कोई भी स्टाफ उक्त पदों पर सरकारी, वेतन, भत्ते या अनुलाभों को नियमित किये जाने अथवा नियमित वेतनमान प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा। क्योंकि भुगतान, मानदेय के रूप में, या रिटेनरशिप के आधार पर हैं, वेतनभोगी के रूप में नहीं है।

सही
(मो0 रिजवान खान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.)

पृ.क्र. /158/ जिविसेप्रा / 2025 बैकुण्ठपुर, दिनांक– 28.06.2025

प्रतिलिपि :–

01. मान. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को पत्र कमांक–1801 बिलासपुर दिनांक 27.06.2025 के संबंध में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02. रीता बाई पिता स्व0 श्री प्रमोद, ग्राम+पो0–करमीटिकरा, तह0–पत्थलगांव, जिला–जशपुर (छ.ग.)

03. चंचल साहू, पिता–शिव राम साहू, ग्राम+पो0–सेदम, तह0–बतौली, जिला–सरगुजा (छ0ग0)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया चयनित स्टॉफ को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश जारी दिनांक के एक सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से मूल दस्तावेज एवं पासपोर्ट साईज की 1 फोटो सहित पदभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा प्रतीक्षा सूची में अंकित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु आहूत किया जा सकेगा।

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

(श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (छ.ग.)